

23/02/2021

पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप-हैं।  
आत पेशी पर शां पत्र 0-7, R-11 जा. दी.  
पर वकील उभयपक्ष की वक्तव्य सुनी जा  
सुनी है। प्रस्तुत शां पत्र 0-7, R-11 जा. दी.  
को कि प्रतिवादीका संख्या-12 वीसी वाई द्वारा  
पेश किया गया था, उक्त शां पत्र का एवं  
वादी की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस शां पत्र  
एवं पत्रावली में प्रस्तुत उक्त वस्तुविजात  
का गहन अवलोकन व मनन किया गया।  
प्रस्तुत शां पत्र 0-7, R-11 जा. दी. एवं  
लिखित बहस वादी व बहस उभयपक्ष  
के आधार पर वाद खारिज किया  
जाना व शां पत्र 0-7, R-11 जा. दी. व्यक्त  
प्रतीत होता है।

आत प्रतिवादीका संख्या-12 वीसी वाई  
द्वारा प्रस्तुत शां पत्र 0-7, R-11 जा. दी.  
वकीलार किया जाता है एवं वादी द्वारा  
प्रस्तुत वाद बाबत दयाकी विवेचना एतद्वारा  
खारिज किया जाता है। प्रस्तुत निर्णय उक्त  
से टिप्पणी करवाया जाकर सारे इजलास  
सुनाया जाकर शामिल किया गया।  
पना डि. उक्त आवास की जारी सी. वादी  
पत्रावली केसल सुमार लेकर नंबर से  
कम लेकर दाखिल करार है।  
निर्णय सारे इजलास सुनाया जाकर इस  
न्यायालय की सुद्ध व मेरे हस्ताक्षर  
से जारी किया जाता है।

सहायक कलक्टर  
साँभर लेक

